न्यायालय राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन)

COURT OF STATE COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

समाज कल्याण विभाग/Social Welfare Department

बिहार सरकार/Government of Bihar

पत्रांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 701/आ.नि.श. दिनांक 24 जून'19

प्रेषक,

डॉ0 शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सुपौल।

विषय :- **दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम,2016 की धारा-72 अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति से सम्बन्धित बैठक एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन के तहत आपके जिले के सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों/पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत समूहों के सदस्यों एवं सिविल सोसाइटी के साथ समीक्षात्मक बैठक का आयोजन करने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उक्त विषयक दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम,2016 की धारा-72 अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति से सम्बन्धित बैठक एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अनुपालन के तहत आपके जिले के सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों/पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत समूहों के सदस्यों एवं सिविल सोसाइटी के साथ दिनांक-28/06/2019 से 30/06/2019 तक सुपौल जिले एवं वीरपुर अनुमण्डल में समीक्षात्मक बैठक किया जाना है। उक्त के संदर्भ में यह भी सूचित करना है कि प्रखण्ड क्षेत्रान्तर्गत सभी पंचायतों में दिव्यांगजनों के समूह का गठन से सम्बन्धित विषय पर जिले के प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के साथ बैठक किये जाने की आवश्यकता है।

अतएव प्रखण्ड क्षेत्रान्तर्गत सभी पंचायतों में दिव्यांगजनों के समूह का गठन से सम्बन्धित विषय पर जिले के प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के साथ दिनांक-28/06/2019 एवं 29.06.2019 को बैठक हेतु अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाय। इस सम्बन्ध में नवादा जिले में चलन्त न्यायालय कार्यक्रम के दौरान उक्त विषय में समाहरणालय, नवादा द्वारा निर्गत पत्रांक-226/सा0सु0 दिनांक-07.06.2019 एवं समाहरणालय, बेगूसराय द्वारा निर्गत पत्रांक-236 दि0-14.06.2019 की प्रति सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न है।

उक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि अधोहस्ताक्षरी की कार्यक्रम विवरणी निम्नांकित है :-

कृ0पृ0उ0............

राज्य आयुक्त नि:शक्तता की कार्यक्रम विवरणी

क्र0 सं0	तिथि	आगमन/प्रस्थान/ समय सारणी	आगमन/ उपस्थिति	कार्यक्रम	कार्यक्रम समन्वयक/नोडल पदाधिकारी	परिसदन में रात्रि विश्राम
1.	28/06/2019 (शुक्रवार)	04:00 AM बजे पटना से सुपौल के लिए प्रस्थान	सुपौल	पूर्वाह्न 09:00 बजे से सुपौल जिला जाने के क्रम में विभिन्न प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के साथ दिव्यांगजन समूह के साथ बैठक	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा/दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग	सुपौल परिसदन में रात्रि विश्राम
2.	29/06/2019 (शनिवार)	----	सुपौल	पूर्वाह्न 09:00 बजे से सुपौल जिला जाने के क्रम में छूटे हुए प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के साथ दिव्यांगजन समूह हेतु समीक्षा बैठक एवं अपराह्न 04:30 बजे से दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम,2016 की धारा-72 अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा/दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग	सुपौल परिसदन में रात्रि विश्राम
3.	29/06/2019 (शनिवार)	06:00 PM बजे सुपौल जिला से वीरपुर के लिए प्रस्थान	----	----		वीरपुर के IB (Inspection Bunglow)/परिसदन में रात्रि विश्राम
4.	30/06/2019 (रविवार)	----	वीरपुर	पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 12:00 बजे तक वीरपुर अनुमण्डल के सभी प्रखण्डों के पदाधिकारियों एवं प्रखण्ड स्तर पर चयनित दिव्यांगजनों के समूह के साथ कौशिकी भवन सभागार, वीरपुर में बैठक	अनुमण्डल पदाधिकारी, वीरपुर	कौशिकी भवन सभागार, वीरपुर के IB (Inspection Bunglow)/परिसदन में रात्रि विश्राम
5.	30/06/2019 (रविवार)			अपराह्न 01:00 बजे से वीरपुर में अवस्थित राजकीय उच्च विद्यालय में आयोजित पूर्ववर्ती छात्रों के सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे।	अनुमण्डल पदाधिकारी, वीरपुर	वीरपुर के IB (Inspection Bunglow)/परिसदन में रात्रि विश्राम
6.	01/07/2019 (सोमवार)	08:00 AM बजे वीरपुर से पटना के लिए प्रस्थान	----	सड़क मार्ग (NH) से यात्रा		----

उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-80 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त नि:शक्तता को दिव्यांगजनों के अधिकारों से जुड़ी समस्याओं के निष्पादन का कार्य दायित्व सौंपा गया है। (राज्य आयुक्त के कृत्य) की उप धारा 80 (ख) में प्रावधान है कि राज्य आयुक्त स्वप्रेरणा से या अन्यथा नि:शक्त व्यक्तियों को अधिकारों से वंचित करने और उन विषयों के सम्बन्ध में उन्हें उपलब्ध सुरक्षापायों की जाँच करेगा, जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है और सुधारकारी कार्रवाई के लिए समुचित प्राधिकारियों के पास मामले को उठाएगा। इस कार्य दायित्व के निर्वहन के लिए अधिनियम की धारा-82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त नि:शक्तता को इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए वही शक्तियाँ होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी न्यायालय में निहित होती है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 अधिसूचित किया जा चुका है।

अत: जिला पदाधिकारी, सुपौल से अनुरोध है कि अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सचिव स्तर के पदाधिकारी हैं। उक्त कार्यक्रम में सहयोग हेतु अधोहस्ताक्षरी के लिए नयाचार पदाधिकारी (प्रोटोकॉल ऑफिसर) नामित करने के साथ-साथ इनकी सुरक्षा (स्कॉट एवं अंगरक्षक) उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
24.06.19
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

अनुलग्नक - यथोक्त।

कृ0पृ030............

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 701/आ.नि.श. दिनांक 24 जून'19

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

24.06.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 701/आ.नि.श. दिनांक 24 जून'19

प्रतिलिपि:- प्रमण्डलीय आयुक्त, कोसी प्रमण्डल, सहरसा के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

24.06.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 701/आ.नि.श. दिनांक 24 जून'19

प्रतिलिपि:- निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.06.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 701/आ.नि.श. दिनांक 24 जून'19

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, सुपौल/वीरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त तिथि दिनांक-28.06.2019 से 30.06.2019 तक राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार के लिए स्कॉट, अंगरक्षक एवं (होम) सुरक्षा व्यवस्था हेतु आपके नियुक्त नोडल पदाधिकारी द्वारा कृपया मोबाइल नम्बर 9431015499 पर सूचित एवं सम्पर्क स्थापित करने की कृपा की जाय।

24.06.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 701/आ.नि.श. दिनांक 24 जून'19

प्रतिलिपि:-सुपौल जिले के सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं बैठक एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। बैठक के समय अनुमण्डल स्तर के पदाधिकारियों को बैठक में भाग लेने हेतु अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाय।

24.06.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 701/आ.नि.श. दिनांक 24 जून'19

प्रतिलिपि:-सुपौल जिले के सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। बैठक में भाग लेने हेतु प्रखण्ड स्तर के पदाधिकारियों एवं चयनित दिव्यांगजन समूह की भागीदारी सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

24.06.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 701/आ.नि.श. दिनांक 24 जून'19

प्रतिलिपि:-एस0डी0ओ0, वीरपुर के सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। दिनांक-30.06.2019 को 10:00 बजे से 12:00 बजे तक आयोजित बैठक में प्रखण्ड स्तर के पदाधिकारियों एवं चयनित दिव्यांगजन समूह की भागीदारी सुनिश्चित कराने की कृपा करें। इस क्रम में साथ ही सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को आदेशित करेंगे कि कौशकी भवन सभागार, वीरपुर में हॉल का आवंटन करेंगे तथा जलपान आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे।

24.06.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

कृ0पृ0उ0............

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0 (च0न्या0)-03/2018 701/आ.नि.श. दिनांक 27 जून'19

प्रतिलिपि:-सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, सुपौल को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक-28.06.2019 से 30.06.2019 तक समीक्षा बैठक सुनिश्चित करते हुए इसके सफल संचालन हेतु सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, नवादा एवं बेगूसराय से आवश्यक समन्वय एवं सम्पर्क स्थापित कर मार्गदर्शन प्राप्त करें।

24.06.19

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।